कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20/485 दिनांक : 30.7.21

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–(मुख्यालय)

विषय : सत्र 2021–22 में शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पूर्व/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 16.08.2021 तक बढाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2021–22 के लिए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में विभिन्न **प्रकार की पूर्व मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर दिनांक 16.08.2021 की जाती है** अतः अंतिम तिथि से पहले समस्त पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन भरवा कर अनिवार्य रूप से शत–प्रतिशत लॉक/सबमिट करावें।

इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें कि शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में अपने विद्यालय के पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया को निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र विद्यार्थियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20/485 दिनांक : 30.07.2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार शालादर्पण पर स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में कार्य सम्पादित करने की अंतिम तिथि बढाकर दिनांक 16.08.2021 तक करावें।
3. उपनिदेशक, शालादर्पण, प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी.जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा अभियान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7. सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा, तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी.जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
8. **समस्त संस्थाप्रधान राप्रावि/उप्रावि/रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।**
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।

30.7.21

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर